

प्रधान सचिव , स्वास्थ्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2011 को
विभागीय सभागार में **Fire Safety in Hospitals** विषय पर आयोजित बैठक।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एन०बी०सी०) के गार्ड लाईन के अनुसार अस्पतालों /
नर्सिंग होमों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित दिशा - निर्देश

राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एन०बी०सी०) में ओक्यूपेन्स के आधार पर
अस्पतालों/ नर्सिंग होमों को इन्स्टीच्यूशनल बिल्डिंग में वर्गीकृत किया गया है ।

इसके अनुसार अस्पताल भवन / नर्सिंग होम में निम्नलिखित एक्टिव फायर
प्रोटेक्शन सिस्टम रहना चाहिए ।

अस्पताल भवन / नर्सिंग होम

1. i) 15 मीटर से कम ऊँचाई का
जिसका प्लॉट का क्षेत्रफल 1000 m² तक हो तथा
भूमितल +1 मंजिल बिना बेड का है, में निम्न अग्निशामन/निरोध
व्यवस्था होगी ।
 - a) पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र IS 2190/1992 के अनुसार
 - b) होज रील
 - c) अगर बेसमेंट 200m² का है तब उसमें औटोमेटिक स्प्रिंकलरस (Sprinkler's)
की व्यवस्था ।
 - d) मैनुअल कॉल एलार्म प्वाइंट की व्यवस्था ।
 - e) टेरस टैंक कम से कम 2500 लीटर का फायर फाइटिंग के लिए ।
- ii) भूमितल + 1 मंजिल, जिसमें बेड है ।
 - a) पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र
 - b) होज रील
 - c) डाउन कमर सिस्टम
 - d) अगर बेसमेंट 200m² का है तब उसमें Automatic Sprinkler's System
 - e) Manual Call alarm point
 - f) टेरस टैंक कम से कम 5000 लीटर का फायर फाइटिंग के लिए ।
 - g) 450 LPM का टेरस पम्प ।
- iii) भूमितल + 2 मंजिल और अधिक, बिना बेड का
 - a) पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र
 - b) होज रील
 - c) डाउन कमर सिस्टम
 - d) अगर बेसमेंट 200m² से अधिक का है तो Automatic sprinkler's system
 - e) Manual call alarm system

- f) Automatic alarm system
- g) 5000 Litre का Terrace tank
- h) 450 LPM का Terrace Pump
- iv) भूमितल + 2 या अधिक मंजिल का बेड के साथ
 - a) ISI marked Portable अग्निशामक यंत्र
 - b) होज रील
 - c) वेट राइजिंग सिस्टम (Wet rising system)
 - d) अगर बेसमेंट 200m² से अधिक है तो automatic sprinkler's installation.
 - e) Manual call alarm system.
 - f) Automatic alarm system.
 - g) Underground water static tank 50000 Litre with 3 pumps as suggested in N.B.C.

2. 15 मीटर से कम ऊँचाई का जिसका प्लॉट का क्षेत्रफल 1000 m² से अधिक

- a) ISI marked Fire Extinguisher
- b) होज रील
- c) Wet riser
- d) Yard hydrant
- e) अगर बेसमेंट 200m² से अधिक है तब automatic sprinkler's installation
- f) Manual Call alarm point
- g) Automatic alarm system
- h) Underground water static tank 100000 Litres
- i) Overhead water static tank 10,000 Litres
- j) 3 Pumps as per NBC guide line

3. 15 मीटर से अधिक 24 मीटर तक

- a) ISI marked Portable Fire Extinguisher IS 2190/1992 के अनुसार ।
- b) Hose reel
- c) Wet rising system
- d) Yard hydrant
- e) अगर बेसमेंट 200m² से अधिक है तब automatic sprinkler's installation
- f) पूरे भवन में automatic sprinkler's installation.
- g) Manual Call alarm point
- h) Automatic alarm system
- i) Underground water static tank 100000 Litres
- j) Overhead water static tank 20,000 Litres
- k) 3 Pumps as per NBC guide line

4. Above 24 M. not exceeding 30 M.

- a) ISI marked Fire Extinguisher
- b) होज रील
- c) Wet riser
- d) Yard hydrant
- e) अगर बेसमेंट 200m² से अधिक है तब automatic sprinkler's installation
- f) Manual Call alarm point
- g) Automatic alarm system
- h) Underground water static tank 1,50,000 Litres
- i) Overhead water static tank 20,000 Litres
- j) 3 Pumps as per NBC guide line
इसके अलावे निम्न व्यवस्था भी बने हुए अस्पताल में रखा जाय ।
- i) Illuminated Exit directional sign.
- ii) Staircase or other means of escape should not be obstructed.
- iii) Compulsory open space should be left open for parking the emergency vehicles.
- iv) Old electric wiring should be changed to new one with the consultation of the electric engineer.
- v) Electric load should be checked to avoid over loading which may cause electric short circuit.
- vi) Provision of MCB switches.
- vii) Fire Brigade local telephone no. should be hanged at prominent places.
- viii) The installed A.C. should be protected as per 659/1964 or relevant specification.
- ix) After installation of the Fire Equipment the AMC be given to a qualified firm.

नोट :- भविष्य में अगर कोई नया अस्पताल भवन/नर्सिंग होम बनता है तो उस प्लॉन पर राज्य अग्निशाम सेवा का मंतव्य प्राप्त कर लिया जाय ताकि पैसिव & एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम देखकर नियमानुकूल अनुशंसा की जा सके ।

सौजन्य- राज्य अग्निशामक पदाधिकारी, बिहार, पटना।